Dr. Ragini Kumari
Associate Prof. & Head
P.G. Centre of Philosophy
Maharaja College, Ara

न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान के स्वरूप की व्याख्या करें।

न्याय दर्शन में अनुमान की व्याख्या उसके ज्ञान मीमांसा के अन्तर्गत किया गया है। न्याय के अनुसार ज्ञान के चार साधन है; जिनमें अनुमान दूसरा साधन है। न्याय दर्शन अपने ज्ञानमीमांसा या प्रमाणशास्त्र (ज्ञानमीमांसा को ही प्रमाणशास्त्र कहा जाता है) पर विशेष बल देता है। अतः हम पाते हैं कि न्याय दर्शन अपने ज्ञानमीमांसा के अन्तर्गत अनुमान की भी स्पष्ट व्याख्या करता है। अनुमान शब्द का विश्लेषण करने पर हम इस शब्द को दो शब्दों का योगफल पाते हैं। ये दो शब्द हैं 'अनु' और 'मान'। 'अनु' का अर्थ बाद या पश्चात् तथा 'मान' का अर्थ ज्ञान होता है। अतः अनुमान का अर्थ है वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आये। वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसके आधार पर अनुमान की प्राप्ति होती है। जैसे पहाड़ पर धुएँ को देखकर वहाँ आग होने का अनुमान किया जाता है। इसलिए गौतम मुनि ने अनुमान को 'तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक' कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुमान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है।

किन्तु यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना अपेक्षित जान पड़ता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान में पर्याप्त अन्तर है। वह यह कि प्रत्यक्ष ज्ञान स्वतन्त्र एवं निरपेक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान तक ही सीमित है, प्रत्यक्ष ज्ञान सन्देह रहित एवं निश्चित होता है, प्रत्यक्ष की उत्पति के लिए प्रत्यक्ष पर आश्रित है, यानी यह स्वतन्त्र नहीं है, अनुमान से न केवल वर्तमान वरन्

Scanned with CamScanner

भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है। अतः अनुमान का क्षेत्र प्रत्यक्ष के क्षेत्र से वृहत्तर है, अनुमानजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान की तरह निश्चित नहीं होगा वरन् संशयपूर्ण एवं अनिश्चित होता है।

अब हम अनुमान के स्वरूप और अवयव पर विचार करेंगे। अनुमान के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि अनुमान उस ज्ञान को कहा जाता है जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। जैसे –

पहाड़ पर आग है
क्योंकि वहाँ धुआँ है
जहाँ-जहाँ धुआँ है, वहाँ-वहाँ आग है।

यहाँ अनुमान व्याप्ति सम्बन्ध पर आधारित होता है। दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य सम्बन्ध को व्याप्ति कहा जाता है।

अनुमान के स्वरूप के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि अनुमान में कम-से-कम तीन-तीन वाक्य होते हैं। अनुमान के तीन अवयव हैं पक्ष, साध्य और हेतु। जिसके सम्बन्ध में अनुमान किया जाता है वह पक्ष है, पक्ष के सम्बन्ध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहा जाता है और जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है वह हेतु कहलाता है। उपरोक्त उदाहरण में पहाड़ पक्ष है, आग, साध्य और धुआँ हेतु है।

हम पाते हैं कि न्याय दर्शन के अन्तर्गत दो तरह के अनुमान की चर्चा की गयी है (1) स्वार्थानुमान (2) परार्थानुमान

जब मानव स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करता है तब उस ज्ञान को स्वार्थानुमान (Inference for oneself) कहा जाता है। स्वार्थानुमान में वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

परार्थानुमान दूसरे के निमित्त किया जाता है। जब हम दूसरों की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तो उस अनुमान को परार्थानुमान कहा जाता है। परार्थानुमान के लिए पाँच

Scanned with CamScanner

वाक्यों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अनुमान को पंचावयव अनुमान कहा जाता है। अब हम एक-एक कर अनुमान के पंचावयव की व्याख्या करेंगे —

(1) प्रतिज्ञा — अनुमान द्वारा जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। मान लें हम पहाड़ पर आग को सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा करने के पूर्व हम पहले ही दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से इसे प्रकाशित करते हैं। जिसे सिद्ध करना है, उसका निर्देश करना ही प्रतिज्ञा है।

(2) हेतु — भारतीय न्याय वाक्य के अन्तर्गत हेतु का दूसरा स्थान है। अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है, उसे 'हेतु' कहा जाता है। उदाहरण के लिए पर्वत पर आग को प्रमाणित करने के लिए हम धूम का सहारा लेते हैं और कहते हैं 'क्योंकि पर्वत पर धूम है।' इसे ही हेतु कहते हैं। हेतु के द्वारा हम अपने पक्ष में साध्य का अस्तित्व साबित कर सकते हैं।

(3) उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य — जिस उक्ति के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाता है उसकी पुष्टि के लिए दृष्टान्त उपस्थित करना उदाहरण है परन्तु दृष्टान्त ही पर्याप्त नहीं है, दृष्टान्त के अतिरिक्त व्याप्ति का रहना भी आवश्यक है। हेतु और साध्य के अनिवार्य सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति कभी न टूटनेवाला सम्बन्ध है। धुआँ और आग के आवश्यक सम्बन्ध के साथ रसोई घर का दृष्टान्त देकर ऐसा कहा जा सकता है "जहाँ-जहाँ धुआँ है, वहाँ-वहाँ आग है" जैसे रसोई घर में। इसे ही उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य कहते हैं।

(4) उपनय — उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक सम्बन्ध दिखलाने के पश्चात् अपने पक्ष में उसे दिखलाना ही उपनय कहा जाता है। जैसे- धुआँ और आग का जो व्याप्ति सम्बन्ध है उसी का विशेष प्रयोग पहाड़ के सम्बन्ध में किया जाता है। हम कह सकते हैं कि पहाड़ पर धुआँ है, क्योंकि हम 'आग' के अस्तित्व को प्रमाणित करना है

इसके लिए कोई स्थान चाहिए, क्योंकि शून्य में आग का होना नहीं दिखलाया जा सकता है। उपनय के द्वारा ही यह कार्य सम्भव होता है।

(5) निगमन — प्रतिज्ञा को जब हेतु उदाहरण, व्याप्ति, वाक्य, उपनय की सहायता से सिद्ध कर देते हैं तो यही निगमन कहलाता है। निगमन प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि निगमन को प्राप्त कर लेने के बाद सभी प्रकार की शंका का समाधान हो जाता है और हमें अनुमान के प्रति विश्वास होता है।

पंचावयव अनुमान के वाक्यों को एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

(1) पर्वत पर आग है — प्रतिज्ञा
(2) क्योंकि वहाँ धुआँ है — हेतु
(3) जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग होती है, जैसे — रसोई घर में — उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य।
(4) पहाड़ पर धुआँ है — उपनय
(5) इसलिए पहाड़ पर आग है — निगमन।

अनुमान की चर्चा हम पाश्चात्य तर्कशास्त्र में भी पाते हैं। अरस्तू ने भी अनुमान की व्याख्या किया है, किन्तु अरस्तू के अनुमान और न्याय दर्शन के अनुमान में अन्तर है और वह अन्तर यह है कि अरस्तू के अनुमान में तीन वाक्य ही हैं जबकि न्याय दर्शन के अनुमान में पाँच वाक्य हैं। दूसरी बात यह है कि अरस्तू का न्याय सिर्फ निगमनात्मक एवं आकारिक है जबकि न्याय दर्शन का न्याय निगमनात्मक एवं आगमनात्मक दोनों है, तथा निगमनात्मक एवं आगमनात्मक दोनों होने से इसमें आकारिक और वास्तविक दोनों प्रकार की सत्यताएँ हैं।

पुनः हम पाते हैं कि पाश्चात्य न्याय वाक्य में उदाहरण के लिए कोई स्थान नहीं है, परन्तु पंचावयव अनुमान में निगमन को सबल बनाने के लिए उदाहरण का प्रयोग होता है।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार हम पाते हैं कि न्याय का अनुमान का रूप काफी जटिल है। इसमें निगमन और आगमन दोनों तरह के तर्क सन्निहित हैं। इन्हें पंचावयव कहा जाता है, क्योंकि ये पाँच प्रतिज्ञप्तियों से बने हैं। ऐसा समझा जाता है कि न्याय का यह अनुमान अरस्तू के न्याय सम्बन्धी विचारों का ही विकसित रूप है, लेकिन यह बात सही नहीं है कारण कि न्याय का अनुमान अरस्तू के न्याय के पहले विकसित हुआ है। साथ ही साथ हम पाते हैं कि न्याय के अनुमान और अरस्तू के अनुमान में कई बिन्दुओं पर अन्तर है।

अतः न्याय दर्शन के अनुमान विचार पर यह आरोप लगाना कि यह ग्रीक दर्शन से विकसित हुआ है, संगत प्रतीत नहीं होगा, न्याय का अनुमान सम्बन्धी विचार इस दर्शन की निजी देन है।

X————X